मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल–462004

संशोधित-पत्र

क्रमांकः 268/268/38/2019/2 भोपाल, दिनांक 18-3-2019

प्रति,

1. चेयरमैन,निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, म.प्र.।
2. कुलसचिव,समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. प्राचार्य,समस्त शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
4. प्राचार्य,समस्त अशासकीय (अनुदान एवं गैर अनुदान प्राप्त) महाविद्यालय, म.प्र.।

विषयः महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों अनुशासन सुनिश्चित करने बाबत।

संदर्भः विभाग के परिपत्र क्र. 238/220/2019/38–2 भोपाल दिनांक 07.03.2019 में संशोधन बाबत्।

–0–

विषयान्तर्गत संदर्भित बाबत लेख है कि "महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में राजनीतिक संगठनों का हस्तक्षेप न हो तथा शिक्षक सम्मानपूर्वक शिक्षण कार्य कर सकें"।

इस बाबत लेख है कि वैश्वीकरण के माहौल में विद्यार्थियों को मानवीय संवेदनाओं से भरपूर गुणात्मक, नैतिकता पूर्ण और राष्ट्रीय भावना के साथ शिक्षा प्रदान की जाना आवश्यक है। महाविद्यालयों के हितों तथा शिक्षा गुणात्मक विकास, योजनाओं एवं गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा का लाभ सुनिश्चित करने हेतु सभी का अनुशानात्मक योगदान आवश्यक है। इसमें प्राचार्य, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की भूमिका अत्याधिक महत्वपूर्ण है। सभी को अपने कर्तव्यों, अधिकारों एवं जिम्मेदारी से अनुशासन में रहकर पालन करना अनिवार्य है। इस हेतु सभी महाविद्यालय में समय से उपस्थित होकर निर्धारित दायित्वों को पूरा करना है।

राज्य शासन सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के परिसर में अकादमिक वातावरण सुनिश्चित करने हेतु कृत संकल्पित है जिससे परिसर में शैक्षणिक गतिविधियाँ जैसे– अध्यापन, प्रायोगिक कार्य, पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक परीक्षाएं आदि सभी कार्य सुचारू रूप से चल सकें साथ ही विद्यार्थी भारतीय परम्परा, नैतिक मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों को अपनाकर, परिसर में भारतीय मूल्यों को सुदृढ़ करें ताकि शिक्षण संस्था के परिसर में उच्च आदर्श एवं अनुशासन स्थापित हो सके।

उपरोक्त के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देशों का पालन संबंधितों के द्वारा सुनिश्चित किया जावें :–

1. संस्थानों के परिसर में शिक्षण कार्यो को बढ़ावा दिया जावे।
2. परिसर में सभी शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों का सम्मान विद्यार्थियों द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
3. संस्था के किसी भी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ संस्था में असहिष्णु टिप्पणियाँ करना निषेध है।
4. संस्था की इमारत, फर्नीचर आदि की सुरक्षा करना सभी का दायित्व है।

निरन्तर...2

5. शिक्षण संस्थानों में अनुशासन सुनिश्चित किया जाये।
6. अनुशासन भंग करने वाले कार्यक्रमों/धरना/प्रदर्शन/रैली/नारेबाजी आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे–
   "शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम प्रदर्शन आदि के आयोजन के पूर्व संस्था प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।"
7. संस्थानों का प्रयोग कर राजनीतीकरण नहीं किया जावेगा।
8. शिक्षकों के सम्मान के विपरीत कोई कृत्य किसी भी संगठन/विद्यार्थी द्वारा नहीं किया जावेगा।
9 संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों को सभी विद्यार्थी सफल बनाने हेतु नियमों का पालन करेंगे ताकि कार्यक्रम सफल हो सके।
10. परिसर में शिक्षण कार्य में व्यवधान डालने/वातावरण दूषित करने एवं शान्ति भंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

उक्त सभी बिन्दुओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा समय–समय पर महाविद्यालयों के निरीक्षण के दौरान उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करेंगे।

18-3-19
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पृ0क्रमांक:769/728/2019/38-2 भोपाल, दिनांक 18-3-2019

प्रतिलिपिः
1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन मंत्रालय।
2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, म.प्र।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र.।
4. निज सहायक, मान. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

18-3-19
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय